प्रपत्र क्र. क्रभनि-पी-11

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

क्रय और भण्डार निदेशालय
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

सभी ठेकों की सामान्य शर्तें

तथा

संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति अधिशासित करने वाली

ठेके की विशेष शर्तें

क्रय और भंडार निदेशालय द्वारा
जारी सभी ठेकों पर लागू

GENERAL CONDITIONS OF ALL CONTRACTS

&

Special Conditions of Contract

Governing Supplies of Plant and Machinery

Applicable to the contracts placed by
the Directorate of Purchase and Stores

(भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत)
(Under Govt. of India, Dept. of Atomic Energy)

विषय-वस्तु

ठेके की सामान्य शर्तें

		पृष्ठ संख्या
1.	परिभाषाएं	13
2.	पुष्टिकरण की शर्त पर दरों पर ठेके	14
3.	ठेके या बिलों या उससे होने वाले लाभों को शिफ्ती देना (सबलेट करना) ...	14
4.	जमानती जमा	14
5.	विनिर्देशन आदि	15
6.	विनिर्देशनों, आरेखण, बनावट में परिवर्तन	15
7.	नमूने	16
8.	पैकिंग	16
9.	प्रेषण के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी	16
10.	सुपुर्दगी	16
11.	निरीक्षण एवं अस्वीकरण	17
12.	बकाया राशि की वसूली	18
13.	भुगतान का तरीका	19
14.	ठेके को अधिशासित करने वाले कानून	19
15.	अधिकार क्षेत्र	19
16.	क्षतिपूर्ति	19
17.	मध्यस्थता	19
18.	क्रेता के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग	20

संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति अधिशासित करने वाली, ठेके की विशेष शर्तें

विषय-वस्तु

1.	आरेखण में गलती	20
2.	पूर्णता की जिम्मेदारी	21
3.	दोषयुक्त संयंत्र का अस्वीकरण	21
4.	निरीक्षण और अंतिम परीक्षण	21
5.	परिवहन और रास्ते में टूट-फूट की जिम्मेदारी	21
6.	सुपुर्दगी के बारे में सूचना	22
7.	भुगतान का तरीका	22
8.	निर्माण/स्थापन में विलंब	22
9.	संयंत्र की परिभाषा	22

प्रपत्र संख्या क्रभनि पी-11

परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय द्वारा जारी ठेकों पर लागू
सभी ठेकों की सामान्य शर्तें

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय और भंडार निदेशालय

ठेकों की सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएं

1.1 ''क्रेता'' शब्द का मतलब होगा भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके उत्तराधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

1.2 ''निदेशक, क्रय और भंडार'' शब्द का मतलब होगा क्रय और भंडार निदेशालय के तत्समय के निदेशक, क्रय और भंडार जो परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभारी हों। इसमें उक्त क्रय और भंडार निदेशालय के संयुक्त निदेशक, क्रय और भंडार, उप निदेशक, क्रय और भंडार, वरिष्ठ क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी, या कोई अन्य सहायक क्रय अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं, जो क्रेता की ओर से माल की खरीद और आपूर्ति के संबंध में ठेके निष्पादित करने के लिए तत्समय प्राधिकृत हों।

1.3 ''निरीक्षक'' शब्द का मतलब होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो क्रेता द्वारा अथवा उसकी ओर से, ठेके के अधीन आपूर्ति किए गए माल अथवा किए गए कार्य का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया हो अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो निरीक्षक के द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया हो।

1.4 ''विवरण'' शब्द का अर्थ निम्नलिखित होगा :

(i) विनिर्देशन

(ii) आरेखण

(iii) सील बंद नमूना, जिसके लिफाफे पर सील बंद नमूना लिखा हो और जिस पर निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो।

(iv) मालिकाना निर्माण जिसका अर्थ है किसी एक फर्म की निर्मिति।

(v) कोई अन्य विवरण जो ठेके के लिए निर्माण और/अथवा आपूर्ति को नियंत्रित करता हो

1.5 ''ठेकेदार'' शब्द का मतलब होगा वह फर्म अथवा कंपनी जिस पर या जिसको माल की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया है और यह माना जाएगा कि इसमें ठेकेदार, उसका उत्तराधिकारी (क्रेता द्वारा अनुमोदित) प्रतिनिधि, वारिस, कार्यकारी/कार्यवाहक और प्रशासक भी शामिल होंगे, जब तक कि ठेके में इससे अलग व्यवस्था न की गई हों।

1.6 ''माल'' शब्द का मतलब होगा क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट ठेके के अंतर्गत, जिस माल की आपूर्ति के लिए ठेकेदार सहमत हो :

1.7. ''क्रय आदेश'' शब्द का मतलब होगा, क्रेता की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जिसमें क्रेता की ओर से उसकी स्वीकृति सूचित की गई हो और जिसमें वे शर्तें भी लिखी हों जिन पर माल या संयंत्र, मशीनरी या उपकरण या उसके हिस्से-पुर्जा की आपूर्ति के लिए ठेकेदार की निविदा अथवा उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा हो।

2. पुष्टिकरण की शर्त पर दरों पर ठेके

जब क्रय आदेश में मूल्यों के बारें में लिखा हो कि वे निर्माताओं द्वारा पुष्टिकरण पर अथवा लदान के समय एफ.ओ.बी. कीमतों में परिवर्तन के अधीन होंगे, तो ठेकेदार माल की सुपुर्दगी करने से पहले आवश्यक पुष्टिकरण प्राप्त करके इसकी सूचना देगा अथवा लदान के समय एफ.ओ.बी. मूल्य में परिवर्तन के पूरे विवरण, उस मूल बीजक के साथ क्रेता को उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर ठेकेदार ने अपनी दरें दी थी अथवा कोई अन्य दस्तावेज जो क्रेता के लिए आवश्यक हो और क्रेता अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह ऐसी पुष्टियों/परिवर्तनों की जांच उस देश के किसी व्यापार, संगठन अथवा किसी अन्य सरकारी या अन्य प्रकार के संगठन से करा सकता है; और उपरोल्लिखित पुष्टिकरण अथवा परिवर्तन के बारे में सूचना/पत्र मिलने पर बिना कोई कारण बताए ठेके को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा किसी अन्य भुगतान के बारें में क्रेता की ओर से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी पुष्टि और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति लिए बगैर क्रेता की स्पष्ट सहमति से माल की आपूर्ति कर दी जाती है तो ठेकेदार को क्रय आदेश में उल्लिखित मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

3. ठेके या बिलों या उससे होने वाले लाभों का शिकमी देना (सबलेट करना)

कोई भी ठेकेदार किसी ठेके अथवा उसके किसी हिस्सों अथवा बिल को या उससे होने वाले अन्य लाभों को शिकमी नहीं देगा और न उसे किसी को हस्तांतरित करेगा अथवा अपनी जगह पर किसी और को देगा जब तक कि इसकी लिखित अनुमति क्रेता न दे दें, और इस शर्त का उल्लंघन करने पर क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को रद्द कर दें और यहाँ दी गई शर्तों की धारा 10.2.3 के अनुसार ठेकेदार के जोखिम और उसकी कीमत पर पुनः खरीद करें और इस तरह ठेके के रद्द होने पर होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार से वसूली करके करें।

4. जमानती जमा

निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर, ठेकेदार को, क्रेता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर क्रेता निवेदित मूल्य की अधिक-से-अधिक 10% धनराशि, जमानती जमा के रुप में, क्रेता के पास जमा करनी होगी। यह राशि नकद जमा की जाए अथवा किसी और रुप में इस बात का विकल्प क्रेता ही निर्धारित करेगा।

यदि क्रेता ठेकेदार से जमानती जमा की धनराशि जमा करने को कहता है और ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के अंदर ऐसा नही कर पाता है तो ऐसी असफलता को संविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और क्रेता को यह हक होगा कि जिस माल की खरीदी का ठेका दिया गया था उसकी पुनः खरीद के लिए ठेकेदार के जोखिम और उसकी कीमत पर अन्य व्यवस्था करें और इन शर्तों की धारा 10.2.3 के अनुसार इस तरह ठेके के रद्द होने पर होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार से वसूली करके करें। जमानती जमा राशियों पर किसी प्रकार के ब्याज अथवा मुद्रा के अवमूल्यन/मूल्य ह्रास का कोई दावा क्रेता द्वारा मान्य नहीं होगा।

5. विनिर्देशन आदि

5.1 *गुणवत्ता और कारीगरी/शिल्प*

(i) *माल की गुणवत्ता और उसकी कारीगरी/शिल्प सर्वोत्तम होगी तथा ठेके के विवरण के अनुरूप होगी और वह निरीक्षक तथा क्रेता को पूर्ण रूप से संतोषकारक होनी चाहिए।*

(ii) *खासतौर से और पहले वर्णित शर्तों पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर और उनके अतिरिक्त जब ''विवरण'' के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई हों तो ऐसे विवरणों के अनुसार आपूर्ति करने की ठेकेदार की निविदा के बारे में माना जाएगा कि उसने उस विवरण के ब्यौरे को पूरी तरह समझ लिया है और उसे स्वीकार किया है। बाद में, इस आधार पर उनके किसी दावे पर क्रेता द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और कदापि देय नहीं होगा कि वे ''विवरण'' को ठीक से समझ नहीं सके थे।*

5.2 *खराब माल के बारें में ठेकेदार की जिम्मेदारी :-*

क्रेता द्वारा माल स्वीकार कर लिए जाने के बाद 12 माह की अवधि के दौरान यदि यह पाया जाता है कि उसमें कोई खराबियां है तो ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सभी खराबियों को अपनी लागत पर दूर करें बशर्ते कि इसके बारे में माल स्वीकार करने की तारीख से 14 महीने के अंदर क्रेता द्वारा लिखित रूप में उसे सूचित किया गया हो कि माल में किसी प्रकार की खराबी आई है और उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है; इसके अलावा यदि क्रेता को ऐसा लगे कि खराबी ऐसी है कि खराब माल को बदलना जरूरी है तो ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के वह खराब माल बदलकर उसके बदले नया माल क्रेता को देना होगा; और इसके लिए भी शर्त वही होगा क्रेता ने 14 माह की अवधि के अंदर खराबी की सूचना ठेकेदार को दी हो। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकेगा कि यदि ऐसी कोई खराबी थी तो उसे निरीक्षण के दौरान खोज लिया गया होता अथवा उसके समुचित उपयोग के बावजूद उसमें लगे कच्चे माल, डिजाइन अथवा कारीगरी में गड़बड़ी के कारण उसमें खराबी। इस मामले में क्रेता का निर्णय अंतिम निर्णयकारी और ठेकेदार के ऊपर बंधनकारक होगा कि सुपुर्द किए गए माल में खरानी है या उसमें 12 महीने के दौरान कोई खराबी आई है अथवा खराबी इस प्रकार की है कि उसके बदले नया माल देना जरूरी है; भले ही उस माल को निरीक्षक द्वारा पहले स्वीकार कर लिया गया हो अथवा अनुमोदित कर दिया गया हो।

6. विनिर्देशनों, बनावट, आरेखण में परिवर्तन

क्रेता विनिर्देशनों, बनावट, आरेखणों, में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, कि उसके द्वारा निर्धारित एक तिथि के बाद, आपूर्ति किया जाने वाला माल इन परिवर्तित विनिर्देशनों, बनावट, आरेखणों के अनुसार होगा। यदि ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत में परिवर्तन करना हो अथवा माल बनाने के लिए सुपुर्दगी अवधि में परिवर्तन करना हो तो उसके अनुसार परिवर्तन की शर्त पर ही ठेके की कीमत और सुपुर्दगी अवधि में परिवर्तन किया जाएगा। इस प्रश्न पर क्रेता का निर्णय ही अंतिम और निर्णयकारी होगा कि क्या विनिर्देशनों, बनावट, आरेखणों, में परिवर्तन करने से माल की कीमत अथवा उसके उत्पादन की अवधि में परिवर्तन करना आवश्यक होगा अथवा नहीं।

7. **नमूने**

किसी भी कारण से प्रस्तुत किए गए नमूनों की आपूर्ति निःशुल्क की जाएगी और उसका माल भाड़ा आपूर्तिकर्ता द्वारा ही दिया जाएगा। क्रेता उस नमूने को अपने पास सुरक्षित रखने या उसे सही सलामत लौटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्रस्तुत किए गए सभी नमूनों पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाना चाहिए जिन पर ठेकेदार का नाम और पता तथा टेंडर नंबर लिखा हो। यदि ठेकेदार अपने टेंडर के साथ कोई नमूना प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसी स्तर/प्रकार के माल की आपूर्ति की जाएगी जब तक कि क्रय आदेश में स्पष्ट रूप से यह न लिखा हो कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। यदि क्रेता की ओर से कोई प्रमाणित नमूना ठेकेदार को दिया जाता है तो ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी प्रमाणित नमूनों को उनकी बिल्कुल सही दशा में लौटाएं और उन पर लगे हुए लेबल सही स्थिति में।

8. **पैकिंग**

8.1 माल की पर्याप्त और समुचित पैकिंग की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेल, सड़क, समुद्र अथवा वायु मार्ग से जैसे भी उसका परिवहन किया जाना हो उस प्रकार से अपने गंतव्य पर पहुँचने तक उसमें किसी प्रकार की क्षति अथवा हानि की गुंजाइश न रहे। पैकिंग और उस पर की जाने वाली मार्किंग ठेकेदार द्वारा और उसके खर्च पर की जाएगी। हर पैकेज में एक पैकिंग नोट होगा जिस पर क्रय आदेश संख्या तथा दिनांक लिखा होगा और यह विवरण भी दिया होगा कि उस पैकेज में क्या-क्या चीजें पैक की गई है।

9. **प्रेषण के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी**

9.1 कथित रूप से समावेश के आधार पर : ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह परिवहन प्राधिकारियों से एक सुस्पष्ट रसीद प्राप्त करें जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि क्या सामान भेजा गया है। परिवहन बीमा (ट्रांजिट इश्यूरेंस) के लिए क्रेता अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा क्योंकि परिवहन के दौरान सभी जोखिमों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और क्रेता केवल ऐसे माल के लिए ही भुगतान करेगा जो ठेके के अनुसार वास्तव में उसे प्राप्त हुआ है।

9.2 माल भाड़ा और परिवहन प्रभार के लिए ठेकेदार के दायित्व : जब तक कि क्रय आदेश में साफ तौर पर अन्यथा उल्लेख न किया जाए तब तक ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह क्रय आदेश में निर्दिष्ट सुपुर्दगी के स्थान तक माल का परिवहन करके पहुँचाए और इसके लिए सभी प्रकार के माल भाड़े तथा अन्य लागतों और खर्चों का भुगतान ठेकेदार ही करेगा; और क्रय आदेश में निर्धारित मूल्य में ऐसे सभी माल भाड़े, लागतें और खर्चे शामिल होंगे।

9.3 प्रेषण वाले रेल स्टेशन तक निःशुल्क पहुँचाना (एफ.ओ.आर.स्टेशन) : ठेके के मामलों में, जिनमें माल को प्रेषण वाले रेल स्टेशन तक निःशुल्क पहुँचाना हो उनमें, जब भी वैगन मिल सके तो, माल को पूरे वैगन की दर पर, सबसे किफायती रास्ते से बुक किया जाएगा और यदि ठेकेदार ऐसा नहीं कर पाता है तो, यदि क्रेता को कोई ऐसा खर्च करना पड़ा जिससे बचा जा सकता था तो उसका पूरा या आंशिक खर्च ठेकेदार को ही वहन करना पड़ेगा।

10 **सुपुर्दगी**

10.1 सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि और दिनांक ठेके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सारतत्व है : माल की सुपुर्दगी के लिए, क्रय आदेश में निर्धारित समय और दिनांक को ठेके का सारतत्व माना जाएगा और उसमें निर्धारित तिथियों के अंदर ही माल की पूरी आपूर्ति अनिवार्य रूप से कर दी जानी चाहिए।

10.2 असफलता और समापन : यदि कोई ठेकेदार माल अथवा उसके किसी प्रेषण (कन्साइनमेंट) की आपूर्ति सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि में नहीं कर पाता है तो क्रेता को वह अधिकार होगा कि वह नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी पर भी कार्रवाई करें :

10.2.1 ठेकेदार से हुई पूर्व सहमति के अनुसार, परिसमापित हरजाना वसूल कर सकता है। यह वसूली अर्थ दंड के रूप में नही होगी। हरजाने की राशि उस माल के मूल्य के 2% के बराबर होगी। जिसकी आपूर्ति ठेकेदार निर्धारित अवधि में नही कर सका है। यह हरजाना प्रति माह या उसके अंश के लिए होगा जिसके दौरान ऐसे माल की सुपुर्दगी बकाया हो, अथवा

10.2.2 जिस माल की आपूर्ति नही की गई है अथवा माल की जो खेप/खेपें अभी तक सुपुर्द नहीं की गई है वह अथवा उसी प्रकार का माल ठेके को रद्द किए बिना ठेकेदार के खर्च और जोखिम पर ठेकेदार को सूचित किए बिना किसी दूसरी जगह से खरीद सकता है (जहाँ क्रेता के मतानुसार माल दिए गए विवरण से पूरी तरह मेल नही खाता इसलिए वह उस रूप में खरीदने योग्य नहीं है और ऐसा मत/विचार अंतिम होगा।

10.2.3 यदि आवश्यक हो तो, ठेके को अथवा उसके किसी हिस्से को रद्द कर दे और जिस माल की आपूर्ति नहीं की गई है वह अथवा उसी प्रकार का माल ठेकेदार के खर्च और जोखिम पर खरीद लें या खरीदने के लिए अधिकृत कर दें। (जहाँ क्रेता के मतानुसार माल दिए गए विवरण से पूरी तरह मेल नहीं खाता इसलिए वह उस रूप में खरीदने योग्य नहीं है और ऐसा मत/विचार अंतिम होगा।

यदि उपरोक्त धारा 10.2.2 अथवा 10.2.3 के अधीन कार्रवाई की जाती है तो क्रेता को यदि इस पर कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी, बशर्ते पुनर्खरीद अथवा यदि पुनर्खरीद के लिए कोई करार है तो ऐसा करार इस प्रकार की असफलता की तारीख से 6 माह के अंदर किया गया हो। किन्तु ठेकेदार की इस प्रकार की चूक के आधार पर की जाने वाली ऐसी पुनर्खरीद पर होने वाले किसी लाभ का हकदार वह नही होगा। ऐसी पुनर्खरीद का तरीका और विधि क्या हो यह पूरी तरह से क्रेता के विवेक पर निर्भर होगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। क्रेता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ठेकेदार की चूक पर की जाने वाली ऐसी पुनर्खरीद की सूचना ठेकेदार को दें। क्रेता के इस अधिकार से उसके उस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा जिससे वह ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर होने वाली हानि पर हरजाने की वसूली कर सकें।

10.2.4 सुपुर्दगी अवधि बढाना : जैसे ही ठेकेदार को यह लगे कि वह ठेके में निर्धारित तिथियों के अनुसार समय का पालन नहीं कर सकता तो उसे एक आवेदन पत्र क्रेता को प्रस्तुत करना होगा। यदि क्रेता को यह लगे कि ठेकेदार जिन कारणों/परिस्थितियों से निर्धारित समय पर माल की आपूर्ति करने में असफल रहा है और यदि क्रेता यह मान ले कि वे कारण उचित है जिनके आधार पर समय बढाया जा सकता है (और उसका निर्णय अंतिम होगा) तो वह उतना अतिरिक्त समय बढाने की अनुमति दे सकता है जो वह उन परिस्थितियों में उचित समझे। इससे इन शर्तों की धारा 10 के अधीन परिसमापित हर्जाना वसूल करने के क्रेता के अधिकार पर कोई प्रतिकूल असर नही पडेगा।

10.2.5 तथापि यदि ठेके की सुपुर्दगी अवधि बीत जाने के बाद माल की आपूर्ति करने से पहले ठेकेदार आवेदन करके ठेके की सुपुर्दगी तिथि बढवा नहीं लेता है तो क्रेता द्वारा ऐसे माल को स्वीकार किए जाने से विलंबित सुपुर्दगियों के लिए परिसमापित हर्जाना वसूल करने के क्रेता के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा और न इससे ठेकेदार को ऐसी किसी सांविधिक वसूली के भुगतान का हक मिलेगा जो ठेके की सुपुर्दगी तिथि के समाप्त होने के बाद लागू हुई हो।

11 निरीक्षण एवं अस्वीकरण

11.1 निरीक्षण एवं अस्वीकरण : ठेकेदार,अपने जोखिम, खर्च तथा लागत पर निरीक्षक द्वारा बताए गए स्थानों पर माल को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और यह माल उस स्थान पर निरीक्षण के लिए ठेकेदार के जोखिम पर रखा/पडा रहेगा। उस माल का निरीक्षण और उसकी जांच निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ढग से की जाएगी और इस संबंध में माल को अस्वीकार करने के बारे में निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा और उसे मानना ठेकेदार के लिए बंधनकारी होगा। यदि उपरोक्त प्रकार से कोई माल रद्द

या अस्वीकार किया जाता है तो पूर्वोक्त उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्रेता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि :

11.1.1 ठेकेदार को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह अस्वीकार किए गए माल के बदले में दूसरा नया माल क्रेता द्वारा निर्धारित समय सीमा (और यह समय ठेके का सारतत्व होगा) के अंदर निरीक्षण के लिए दोबारा प्रस्तुत करें और इससे यहां दी गई धारा 10 में किए गए उपबंधों के अनुसार परिसमापित हर्जाना वसूल करने के क्रेता के अधिकार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पडेगा। इस प्रकार बदले में दूसरा माल प्रस्तुत करने के लिए मालभाडा ठेकेदार द्वारा चुकाया जाएगा और उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, अथवा

11.1.2 अस्वीकृत माल अथवा उसी प्रकार के दूसरे माल की उतनी ही मात्रा यहां दी गई धारा 10.3 के दूसरे अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार के जोखिम और उसकी लागत पर कहीं दूसरी जगह से खरीद ले। इससे ठेके के अनुसार आगे की किसी अन्य खेप/खेपों की आपूर्ति के बारे में ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा, अथवा

11.1.3 ठेका समाप्त कर दे और परिणामस्वरूप क्रेता को होने वाले हानि की वसूली ठेकेदार से करे।

11.2 अस्वीकृत माल को हटाना : निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए जिस माल को निरीक्षक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो उसे स्वीकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के अंदर ठेकेदार को वहां से अनिवार्य रूप से हटा लेना चाहिए। तथापि यदि माल से किसी प्रकार का कोई खतरा या संक्रमण हो सकता हो अथवा वह खराब हो सकता हो तो निरीक्षक, ठेकेदार को ऐसा माल अस्वीकार किए जाने की सूचना मिलने के 48 घंटे के अंदर हटाने को कहेगा और ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि इसी के अनुसार माल को हटाए। ऐसा माल अस्वीकृत कर दिए जाने के समय से ठेकेदार के जोखिम पर पड़ा रहेगा और यदि उपरोक्त निर्धारित समय के अंदर उसे वहां से नहीं हटाया गया तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो अस्वीकृत माल को ठेकेदार के जोखिम पर ठेकेदार को वापस भेज दे। माल वापसी के लिए क्रेता परिवहन का साधन अपने ढंग से चुनेगा। अन्यथा क्रेता जैसा भी उचित समझे उस प्रकार ठेकेदार के जोखिम और उसकी कीमत पर माल का निपटान कर सकता है अथवा अलग कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त धनराशि में से उपरोक्त अनुसार की गई बिक्री के संबंध में क्रेता द्वारा किए गए खर्च अथवा किसी हानि की वसूली के लिए आवश्यक धनराशि काट सकता है। माल के परीक्षण के बाद उसे अस्वीकार किए जाने पर गंतव्य तक भेजने के लिए उस समय लागू दरों से मालभाडा ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

11.3 परीक्षण प्रमाणपत्र और प्रत्याभूतियाँ /गारंटी : यदि निरीक्षक को जाँच प्रमाणपत्र और गारंटी की जरुरत हो तो ठेकेदार उन्हें प्राप्त करके बिना किसी शुल्क के प्रस्तुत करेगा।

12. बकाया राशि की वसूली

यदि ठेकेदार से किये गये इस ठेके के अधीन प्राप्त धन के भुगतान के लिए कोई दावा सामने आता है चाहे वह परिनिर्धारित हो या नहीं, तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि यदि ठेके के लिए जमानत ली गई है तो वह उस जमानत से अंशतः या पूर्णतः धनराशि की वसूली करे जो ठेकेदार ने जमा की है। यदि जमानत अपर्याप्त है या ठेकेदार से कोई जमानत नहीं ली गई है तो ऐसी स्थिति में जो बकाया या कुल धनराशि है क्रेता से किये गये इस या अन्य किसी ठेके के अधीन इसके बाद किसी भी समय ठेकेदार से प्राप्य होगी, यदि यह राशि पर्याप्त नहीं है कि उससे पूर्ण धनराशि वसूल हो जाये तो शेष बकाया राशि मांगे जाने पर ठेकेदार को क्रेता को देनी होगी. इसी प्रकार यदि क्रेता से किये गये किसी अन्य ठेके के अधीन, क्रेता का ठेकेदार पर कोई दावा है

या करता है चाहे वह परिनिर्धारित (परसमाप्ति) हो या नहीं तो ठेकेदार को ठेके के अधीन देय धनराशि का भुगतान रोक दिया जाएगा. इस धनराशि में जमानती जमा भी शामिल है. यह स्थिति तब तक होगी जब तक कि क्रेता के ऐसे दावे पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है और ठेकेदार इसका भुगतान नहीं कर देता है.

13. भुगतान का तरीका

जब तक कि पार्टियों में लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो तब तक बिलों को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने पर पर्याप्त समय में माल की सुपुर्दगी का भुगतान कर दिया जाएगा. माल के प्राप्त होने और निरीक्षण के बाद पास होने के बाद क्रय आदेश में निर्धारित दरों के आधार पर ठेकेदार को माल की प्रत्येक सुपुर्दगी पर भुगतान किया जाएगा. सामान्यतः माल के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही निरीक्षण करना होगा.

14. ठेके अधिशासित करने वाले कानून

तत्समय लागू भारत का कानून इस ठेके को अधिशासित करेगा. आपूर्ति किए गये सभी माल का चिह्नांकन (मार्किंग) भारतीय अधिनियम की आवश्यकता के अनुरुप होना चाहिए. यह माल चिन्ह और ऐसे अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से संबंधित होना चाहिए.

15. अधिकार क्षेत्र

इस ठेके के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो इन शर्तों की धारा 17 के अनुसार इसकी सुनवाई तथा निर्णय करना उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा जो क्रय आदेश जारी होने की जगह की स्थानीय सीमाओं के लिए निर्धारित है.

16. क्षतिपूर्ति

ठेकेदार को हर समय उन सभी दावों के लिए क्रेता को क्षतिपूर्ति करनी होगी जिनका संबंध प्रारूप के पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) या ट्रेड मार्क द्वारा संरक्षण प्राप्त किसी अधिकार के उल्लंघन किये गये माल से है. यदि किसी कारणवश ठेकेदार आपूर्ति नहीं कर पाता है तो दुर्घटना या हानि से संबंधित सभी जोखिम ठेकेदार को ही उठाना होगा और ठेके को पूरा करने में प्रयुक्त सभी साधनों की पर्याप्तता की पूरी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी.

17. मध्यस्थता

यदि इन शर्तों या क्रय आदेश में दी गई शर्तों के अधीन झगड़ा या मतभेद पर प्रश्न उठता है या इस संविदा के संबंध में प्रश्न उठता है केवल उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय विशेष रुप से इन शर्तों द्वारा दिया गया है तो इस मामले को निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाए. इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मध्यस्थ (निर्णायक) एक सरकारी कर्मचारी है, वह ठेके से संबंधित मामलों को देखा करता है या सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कार्यों के दौरान झगड़े या मतभेद से संबंधित सभी या कई अन्य मामलों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं. इस ठेके के लिए मध्यस्थ (निर्णायक) का निर्णय अंतिम और पार्टियों के ऊपर बंधनकारी होगा.

17.2 ठेके की शर्त (निबंधन) इस प्रकार है

17.2.1 यदि मध्यस्थ निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय हो (i) यदि उनका स्थानांतरण हो जाये या त्यागपत्र देने के कारण या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाये तो यह कानूनी होगा कि कार्यालय में उत्तराधिकारी स्वयं अपने हवाले से कार्रवाई करे या मध्यस्थ के रुप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करे (ii) यदि वह किसी कारण से कार्य करने के अनिच्छुक या अयोग्य है तो यह कानूनी होगा कि निदेशक, मध्यस्थ के रुप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करे.

17.2.2 यदि मध्यस्थ निदेशक, क्रय और भंडार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी मृत्यु हो जाये, कार्य करने में लापरवाही बरती जाये या इन्कार किया जाये या वह किसी कारण से त्यागपत्र दे दे या कार्य करने में अयोग्य हो तो यह कानूनी होगा कि निदेशक, क्रय और भंडार स्वयं अपने हवाले से कार्रवाई करे या पदमुक्त मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रुप में नियुक्त करें.

17.3 उपरोक्त के अनुसार मध्यस्थता अधिनियम 1940 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम और तत्समय लागू इसका कोई कानूनी संशोधन के अधीन इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता कार्रवाई को लागू किया जायेगा. मध्यस्थ को यह अधिकार होगा कि वह क्रेता और ठेकेदार की सहमति से निर्णय करने और उसे प्रकाशित करने के समय को बढा दें. मध्यस्थता का स्थान वही होगा जो क्रेता अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित करेगा.

18. क्रेता के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग

ठेके के अधीन खरीद के सभी अधिकार, विवेकाधीन निर्णय तथा शक्तियाँ क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक, उप-निदेशक, क्रय अधिकारी, सहायक क्रय अधिकारी अथवा निदेशक, क्रय और भंडार की ओर से ठेके देने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जायेगी और क्रेता की ओर से सभी सूचनायें/नोटिसें भी इन्ही के द्वारा दी जायेगी और सभी ठेकों को इन सामान्य शर्तों में सम्मिलित शर्तों और निबंधनों में क्रेता के किसी विचार के संदर्भ का मतलब होगा, इस धारा में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के विचार का संदर्भ और इसे इसी रुप में समझा जायेगा.

संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति अधिशासित करने वाली, ठेके की विशेष शर्तें.

18.2 यहाँ पहले से ही दी गई सामान्य शर्तों के अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी और निर्मित उपकरण की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित विशेष शर्तें भी लागू होगी. सामान्य शर्तों से निम्न विशेष शर्तें बाद में रह कर दी जायेगी.

18.2.1 आरेखण में गलती

यदि ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये आरेखण या अन्य विवरण में विसंगतियों, भूलों या त्रुटियों के कारण कार्य में किसी तरह का परिवर्तन पाया जाता है तो इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और उसे इसके लिए भुगतान करना होगा. इससे कोई फर्क नहीं पडता है कि ऐसे आरेखण या विवरण को क्रेता की स्वीकृति प्राप्त है या नहीं.

18.2.2 पूर्णता की जिम्मेदारी

कोई भी फिटिंग या अतिरिक्त उपकरण जिसका विनिर्देशन में विशेष रूप से उल्लेख न हो लेकिन वह सामान्य या आवश्यक हो तो ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भार के इसे देना होगा और संयंत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए.

18.2.3 दोषयुक्त संयंत्र का अस्वीकरण

यदि संयंत्र के स्वीकार कर लिए जाने के बाद यह पाया जाता है कि उसमें कोई खराबी है, इस बारे में यह नहीं कहा जा सकेगा कि यदि कोई खराबी थी तो निरीक्षण के दौरान खोज ली गयी होती, या यह पाया जाता है कि ठेके की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है या इसमें निर्माण की अवधि से 12 महीने के अंदर कोई खराबी आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निर्माण क्रेता ने किया है या ठेकेदार ने, तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इसकी सूचना ठेकेदार को दे और उसे इस बारें में पूरा विवरण दे कि संयंत्र में क्या खराबी है या यह क्यों असफल रहा है और ठेकेदार को तुरंत संयंत्र के दोष को दूर करना होगा बशर्ते कि इसके बारे में निर्माण या स्वीकार करने की तारीख से 14 महीने के अंदर उसे सूचित किया गया हो और यदि क्रेता का मानना है कि खराबी इस प्रकार की है कि उसे दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे संयंत्र की आवश्यकता है जिसकी क्षमता और कार्यकुशलता में कोई कमी न हो या यदि क्रेता का मानना है कि ठेके की आवश्यकताओं के अनुरुप संयंत्र की मरम्मत नहीं की जा सकती या इसे बदला नहीं जा सकता तो ठेकेदार को स्वयं अपनी लागत पर संयंत्र को हटाना होगा इसके स्थान पर नये संयंत्र को देना होगा, यह संयंत्र हर प्रकार से निर्धारित विवरण के अनुरुप होना चाहिए बशर्ते कि ठेकेदार ने निर्माण या स्वीकार करने की तारीख से 14 महीने के अंदर उसे इस संबंध में सूचित कर दिया हो. यदि वह पर्याप्त समय में ऐसा नहीं कर पाता है तो यथास्थिति क्रेता पूर्ण संयंत्र या उसके किसी अंश को ठेकेदार की लागत पर अस्वीकार कर सकता है, इसका आधार यह होगा कि यह दोषयुक्त है या ठेके की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. क्रेता ठेकेदार की लागत पर पर्याप्त समय में इस संयंत्र को उस नये संयंत्र से बदलेगा जो विवरण के अनुसार हो या यदि क्रेता का मानना है कि निर्धारित विवरण को पूरा करने वाला संयंत्र उस रुप में खरीदने योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निकटतम विकल्प ढूंढा जायेगा, ऐसा विचार अंतिम होगा.

18.2.3.1 इस प्रकार से अस्वीकार किये जाने पर क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह उस समय तक सही और समुचित ढंग से संयंत्र का उपयोग कर सके जब तक कि वह उसके बदले नया प्राप्त न कर ले इसका पहले ही शर्त में उल्लेख कर दिया गया है.

18.2.4 निरीक्षण और अंतिम परीक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र विवरण और गारंटी के अनुरुप है, यह आवश्यक कि सभी परीक्षण निरीक्षक द्वारा निर्धारित स्थान या स्थानों पर किये जायेंगे. फिर यदि ऐसा लगता है कि जब तक कि संयंत्र का निर्माण न हो जाये, निष्पादन और गारंटी की दृष्टि से अंतिम परीक्षण रोकना आवश्यक है तो परीक्षण निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के एक महीने के अंदर किया जाये.

18.2.5 परिवहन और रास्ते में टूट-फूट की जिम्मेदारी

जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो क्रेता क्रय आदेश में नामित रेलवे स्टेशन के रेलवे अधिकारियों से संयंत्र की सुपुर्दगी लेगा लेकिन यदि संयंत्र के निर्माण स्थान तक ले जाने

में कोई क्षति होती है तो ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार होगा.

18.2.6 सुपुर्दगी के बारे में सूचना

यदि क्रेता लिखित रुप में ठेकेदार को सूचित करेगा कि वह सुपुर्दगी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी संयंत्र या सामग्री नहीं भेजी जायेगी जब तक कि क्रेता ठेकेदार को लिखित रुप में सूचना नहीं देता कि वह सुपुर्दगी लेने के लिए तैयार है.

18.2.7 भुगतान का तरीका

जब तक कि क्रेता और ठेकेदार में लिखित रुप में अन्यथा सहमति न हो निरीक्षक द्वारा स्वीकार किये गये संयंत्र की सुपुर्दगी का भुगतान निम्न प्रकार से होगा :-

18.2.7.1 प्रारम्भिक निरीक्षण के बाद जितना जल्दी हो सके प्रत्येक सुपुर्द परेषण की ठेका कीमत का 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाये.

18.2.7.2 अंतिम निरीक्षण और परीक्षण के समय जितना जल्दी हो सके, संविदा कीमत और निर्माण लागत यदि कोई है 20 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाये.

18.2.7.3 कानून के अधीन और इन शर्तों के अधीन अन्य उपायों के साथ-साथ क्रेता को अधिकार होगा कि वह प्रत्येक उस परेषण को ले सके जिस परेषण का 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, ताकि ठेके की शर्तों के अधीन या कानून के अधीन यदि राशि की वापसी की जा सकती है तो उस वापसी को सुनिश्चित कर लें और साथ में ठेके के अधीन या कानून के अधीन किसी अन्य देय के भुगतान को भी सुनिश्चित कर लें.

18.2.8 निर्माण में विलंब

यदि ठेके की शर्त के अनुसार संयंत्र या मशीनरी का निर्माण करवाना ठेकेदार का कर्तव्य है और ठेकेदार, क्रेता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण कार्य को पूरा कराने में असफल हो जाता है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के किसी स्त्रोत से निर्माण करवायें. ऐसी स्थिति में यदि क्रेता द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने में कोई अतिरिक्त खर्च होता है तो उसे ठेकेदार को वहन करना होगा. लेकिन, ठेकेदार को क्रेता द्वारा की गई कार्रवाई से हुए लाभ को लेने का कोई अधिकार नहीं होगा.

18.2.9 संयंत्र की परिभाषा

''संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति अधिशासित करने वाली ठेके की विशेष शर्तों में प्रयुक्त शब्द ''संयंत्र'' से तात्पर्य सभी मशीनों, संयंत्रों, उपकरणों या उनके पुर्जों से होगा या जिसे ठेकेदार क्रय आदेश में निर्धारित ठेके के अधीन आपूर्ति करने के लिए सहमत हो.

****